केन्द्र द्वारा प्रायोजित पुस्तकालयों को सहायता

योजना का उद्देश्य केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित संस्थानों/संगठनों को सहारा देना तथा ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करना है, ताकि पल्ली संगठन विभाग, विश्व भारती, श्रीनिकेतन के मॉडल में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदेान कर रहे विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया जा सकें।

पल्ली संगठन विभाग, विश्वभारती के मामले में प्रतिष्ठान से एक प्रतिनिधि को लेकर एक विधिवत गठित समिति योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए प्रस्तावों को अन्तिम रूप देता है।

विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्ताकालय सेवा के विकास के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के जैसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित संस्थानों को प्रतिष्ठान के इस योजना में भाग लेने हेतु सादर आमंत्रित है।

सहायता की सीमा एवं कार्य क्षेत्र :

I. **पुस्तकें : रूपये – 25,000/– प्रति पुस्तकालय/प्रतिवर्श**

II. **फर्नीचर : रूपये – 25,000/– प्रति पुस्तकालय/प्रतिवर्श**

III. **कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं संबंधित मदें : रूपये – 70,000/– (कुल पॉच वर्ष में प्रति पुस्तकालय)**

उपरोक्त सीलिंग की सीमा को पालन करने पर विश्व भारती के जैसे केन्द्रीय संगठन से 50:50 के शेयर के आधार पर कुल 1,20,000/– रूपये प्रति पुस्तकालय।